निविदा सूचना

स्वास्थ्य से संबंधित व अन्य विभिन्न विषयों तथा मंत्रालय की वेबसाइट का अनुवाद कार्य, विशेष रूप से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्तावित पैनल (दो वर्ष के लिए) में शामिल किए जाने के लिए अनुवाद एजेंसियों / फर्मों से निविदाएं आंमत्रित की जाती हैं (व्यक्ति विशेष द्वारा आवेदन न किया जाए)।

2. निविदा दोहरी बोली अर्थात् **तकनीकी बोली** (अनुलग्नक-।।) और **वित्तीय बोली** (अनुलग्नक-।।।) के आधार पर प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है जो हर दृष्टि से पूर्ण हों और अलग-अलग मोहरबंद लिफाफों में डाली जाएं जिन पर "तकनीकी बोली" तथा "वित्तीय बोली" अलग-अलग अंकित किया जाए। इन दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर बंद किया जाना चाहिए जिस पर **"हिंदी अनुवाद कार्य के लिए कोटेशन"** लिखा हो। मोहरबंद कोटेशन इस विभाग में 2,000/- रुपए की बयाना राशि के डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक सहित **श्रीमती नीहारिका सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं.754, 'ए' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली** में **08 सितंबर, 2017** को **अपराहन 2.00 बजे** तक पहुंच जानी चाहिए। कोटेशनों को उसी दिन निविदाकारों की उपस्थिति में अपराहन 3.00 बजे खोला जाएगा। निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि उस दौरान उपस्थित रह सकते हैं।

3. पैनल में अंतिम रूप से शामिल सभी सफल निविदाकर्ताओं को एल1 दर (नूयनतम दर) पर अनुवाद तथा अन्य कार्य, जिनका निविदा सूचना में उल्लेख किया गया है, पर **अनुलग्नक-।** के रूप में संलग्न निबंधन और शर्तों पर कार्य करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ अनुबंध करना होगा।

4. निविदा सूचना और विस्तृत निबंधन एंव शर्तें (**अनुलग्नक-।**) तथा अन्य अनुलग्नक-।। से IV एवं खंड 2, को मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(नीहारिका सिंह)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 2306 0162

प्रतिलिपि:

एनआईसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना तथा निबंधन एवं शर्तों (अनुलग्नक-।) और अनुलग्नक । से IV, खंड 2 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

अनुलग्नक-I

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1. प्रस्तावित पैनल में शामिल होने की इच्छुक अनुवाद एजेंसियों / फर्मों का चयन इस उद्देश्य के लिए गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अपेक्षित जांच के आधार पर किया जाएगा।

2. एजेंसियों/फर्मों को अपनी कोटेशनों के साथ अनुवाद सेवाएं प्रदान करने का सबूत/प्रमाण तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के साथ हुए पत्र-व्यवहार (जैसे कार्यादेश, **टीडीएस कटौती** प्रमाण-पत्र, कार्य समाप्ति प्रमाण-पत्र, आदि) संलग्न करना होगा। संगत दस्तावेज के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. सौंपे गए कार्य का अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में तुरंत सटीक अनुवाद करके यूनिकोड समर्थित फोंट नामत: **मंगल** या **एमएस यूनिकोड फोंट** या जैसाकि संगत प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाए, में टाइप करके ई-मेल द्वारा भेजना होगा। चूंकि सौंपा गया कार्य समयबद्ध होगा, अत: दी गई समय-सीमा पर कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ अनुवाद, टाइप और पुनरीक्षा (वेटिंग) करके भेजना अपेक्षित होगा। तदुपरांत अनुवाद की गुणवत्ता और सटीकता की विभाग द्वारा जांच की जाएगी। संशोधन, यदि कोई हो, को एजेंसी/फर्म द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर कराना होगा। संशोधन के लिए कोई भुगतान / क्षतिपूर्ति आदि नहीं की जाएगी।

4. चयनित एजेंसी / फर्म अपने परिसर से कार्य करेगी। एजेंसी/फर्म द्वारा निविदा कार्य के लिए अपेक्षित सभी जनशक्ति/ उपकरण/ हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर की जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अनुवाद कार्य के लिए कोई कार्यालय स्थल, कंप्यूटर, इंटरनेट, दूरभाष, आदि उपलब्ध नहीं कराएगा। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय कोई लेखन-सामग्री, कागज, पेपर, सीडी आदि उपलब्ध नहीं कराएगा।

5. दिया जाने वाला अनुवाद कार्य, तकनीकी / गैर-तकनीकी सामग्री, रिपोर्ट, भाषण इत्यादि किसी भी प्रकृति का हो सकता है।

6. निविदा में अनुवाद प्रभार (जिसमें अनुवाद, पुनरीक्षण, टंकण, प्रूफ रीडिंग प्रभार एवं समस्त कर शामिल हैं) को प्रति शब्द उद्धृत किया जाएगा। सहमत अनुवाद प्रभार के अलावा कार्य से संबंधित किसी कार्यकलाप/दौरे के लिए अन्य कोई भुगतान, जो कोई भी हो, नहीं दिया जाएगा।

7. **भुगतान:** भुगतान दी गई सामग्री की प्रतिशब्द स्वीकृति दर, वर्ड प्रोसेसर के अनुसार गणना किए गए शब्दों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

8. **कार्य की अवधि -**

   8.1 अनुवाद कार्य ई-मेल या हार्ड कॉपी के जरिए कार्यालय समय के बाद भी दिया जा सकता है जिसे निर्धारित समयावधि में सटीकता के साथ तत्काल आधार पर पूरा करना होगा।

8.2 एजेंसी / उसके अनुवादकों को मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों के साथ ईमेल/दूरभाष के जरिए लगातार संपर्क में रहना होगा जब तक कि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो जाता।

9. यदि अनुवाद कार्य की गुणवत्ता सही नहीं पाई जाती है या पूरा अनुवाद दी गई समय-सीमा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो एजेंसी/फार्म को पैनल सूची से हटाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में, संबंधित एजेंसी/फर्म को कोई अनुवाद कार्य नहीं दिया जाएगा।

10. भ्रष्ट और कपटपूर्ण तरीका

10.1 "भ्रष्ट तरीके" का अर्थ है किसी सरकारी कर्मचारी को कार्यप्रणाली को प्रभावित करने के लिए कुछ मूल्य देने की पेशकश करना, कुछ प्राप्त करना अथवा मांगना।

10.2 "कपटपूर्ण तरीके" का अर्थ है पैनल प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या मंत्रालय को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से संविदा का निष्पादन करना जिसमें अधिकृत प्रतिनिधि / सेवा प्रदायकों का कपटपूर्ण व्यवहार भी शामिल है।

10.3 यदि मंत्रालय यह तय करता है कि पैनल के लिए संस्तुत एजेंसी ने भ्रष्ट या कपटपूर्ण तरीका अपनाया है और मंत्रालय उसे कार्य देना बंद कर सकता है और उसे पैनल से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

11. प्रस्ताव प्रस्तुत करना

11.1 तकनीकी प्रस्तावों में निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेज शामिल होंगे - जिनमें से प्रत्येक पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे और मोहर लगाई जाएगी।

1. तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुति पत्र (खण्ड-2)
2. तकनीकी बोली (अनुलग्नक-।। प्रपत्र)
3. निविदा दस्तावेज की प्रति, जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों और मोहर लगी हो।
4. पैन / टैन / जीएसटीआईएन की प्रति - स्व-अभिप्रमाणित

11.2 निविदाकर्ता इस निविदा दस्तावेज के प्रत्येक भाग पर हस्ताक्षर करेगा और मोहर लगाएगा जिसका अभिप्राय यह होगा कि उसने इस निविदा में दी गई निबंधन एवं शर्तो को पढ़ और समझ लिया है तथा उसे निविदा के साथ प्रस्तुत करेगा।

11.3 मूल प्रस्ताव (तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव) ऐसी स्याही से लिखे जाएंगे जो मिट न सके। इसमें कहीं भी पंक्तियों के बीच या शब्दों के उपर न लिखा जाए (ओवर राइटिंग)।

11.4 तकनीकी प्रस्ताव मोहर बंद लिफाफे में डाले जाएंगे और उस पर **''स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य हेतु तकनीकी प्रस्ताव''** लिखा जाएगा।

11.5 इसके अलावा, वित्तीय प्रस्ताव (अनुलग्नक-।।। प्रपत्र) मोहरबद्ध लिफाफे में डाले जाएंगे और उस पर **''स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए हिंदी से अंग्रेजी और विलोमत: अनुवाद कार्य हेतु वित्तीय प्रस्ताव''** लिखा जाएगा।

11.6 यदि वित्तीय बोली को अलग मोहरबंद लिफाफे में ऊपर दर्शाए गए अनुसार विधिवत रूप से लिखकर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह बोली को अमान्य घोषित किए जाने का आधार बन सकता है।

11.7 दोनों मोहरबंद लिफाफों को एक अन्य लिफाफे में डालकर मोहरबंद करना होगा। बाहरी लिफाफे पर प्रस्तुति की नियत तारीख सहित **''स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए हिंदी से अंग्रेजी और विलेमत: अनुवाद कार्य के लिए तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव''** प्रस्तुत करने वाली एजेंसी का पूरा नाम, पता, दूरभाष संख्या, ई-मेल पता लिखा होना चाहिए।

11.8 बाहरी लिफाफे, जिसमें मोहरबंद तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव डाले जाएंगे, पर निम्नलिखित पता लिखा जाना चाहिए :

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
कमरा नं.754, 'ए' विंग,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110011

11.9 अधूरी निविदाएं और विलंब से प्राप्त होने वाली निविदाओं को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

11.10 फर्म का अधिकृत प्रतिनिधि तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों के सभी पृष्ठों पर आद्यक्षर या पूर्ण हस्ताक्षर करके अनुप्रमाणित करेगा।

11.11 तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 08.09.2017 को अपराह्न 2.00 बजे या उससे पहले तक प्रस्तुत किए जाएंगे।

11.12 निविदा प्रस्तुति की अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि कोई प्रस्ताव, अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होता है, तो उसे बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

11.13 प्रस्ताव के साथ बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु.2,000/ (दो हजार रुपए मात्र) के बैंक ड्राफ्ट/गारंटी/एफडीआर के रूप में जमा कराई जाएगी जो **डीडीओ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्रालय, नई दिल्ली को देय होगा। ईएमडी के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.14 असफल निविदाकारों की रु.2,000 (दो हजार रूपए मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के तत्काल बाद लौटा दिया जाएगा। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल निविदाकार को ईएमडी की राशि, निष्पादन सुरक्षा राशि जमा कराने के बाद लौटा दी जाएगी।

11.15 मंत्रालय को निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार होगा। सशर्त, गलत और अधूरी निविदाओं को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

11.16 मंत्रालय को किसी एजेंसी से प्राप्त प्रस्ताव को बोलीदाता को कोई सूचना दिए बिना सरसरी तौर पर रद्द करने का अधिकार होगा।

11.17 मंत्रालय को कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्य की किसी मद के अधीन पूर्ण या आंशिक मात्रा देने का अधिकार होगा।

11.18 सफल निविदाकार दवारा रु.5,000/ (पांच हजार रुपए मात्र) की निष्पादन सुरक्षा राशि बैंक ड्राफ्ट/गारंटी/एफडीआर के रूप में जमा कराई जाएगी जो **डीडीओ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**, नई दिल्ली को देय होगा। यह सभी संविदागत बाध्यताओं को पूरा करने की तारीख के बाद 60 दिनों तक की अवधि के लिए वैध रहेगा।

12. निविदा खोलना और चयन प्रक्रिया

12.1 निविदा प्रस्तावों को एजेंसियों के अधिकृत प्रितनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 08.09.2017 को अपराह्न 3.00 बजे खोला जायेगा, जिन्होंने निविदाओं को 08.09.2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक या उससे पूर्व प्रस्तुत किया था।

12.2 सर्वप्रथम, सभी बोलीदाताओं का **"तकनीकी बोली"** नामक लिफाफा खोला जाएगा और बोलियों का तकनीकी मानदंड की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य पाई गई निविदाओं को उपस्थित बोलीदाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष घोषित किया जाएगा। तत्पश्चात् केवल योग्य तकनीकी बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां ही खोली जाएंगी।

12.3 तकनीकी रूप से योग्य पाई गई बोलियों में से, न्यूनतम दर/मूल्य वाली वित्तीय बोली (एल1) का नाम सभी बोलीदाताओं को बताया जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य पाए गए अन्य बोलीदाताओं को इस दर पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया जाएगा और जो इससे सहमति व्यक्त करेंगे उन्हें मौके पर ही अपना सहमति-पत्र (**अनुलग्नक-IV**) में दिए गए प्रपत्र के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा।

12.4 तत्पश्चात् योग्य बोलीदाताओं को मौके पर ही मूल्यांकन समिति के समक्ष अपने सभी मूल दस्तावेज, पंजीकरण, कार्यालय पते का प्रमाण, पैन/ टिन/ टैन/ जीएसटीआईएन कार्य अनुभव तथा कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे जिन्हें किसी विनिर्दिष्ट तारीख को लौटा दिया जाएगा और सभी योग्य बोलीदाताओं को इसकी सूचना दी जाएगी।

12.5 मूल्यांकन समिति द्वारा सफल बोलीदाताओं की अंतिम सूची प्रस्तुति की उपर्युक्त प्रक्रिया के 3 दिनों के अंदर प्रदर्शित की जाएगी और संबंधित व्यक्तियों को भी अधिसूचित किया जाएगा।

12.6 सबसे पहले तकनीकी प्रस्तावों को खोला जाएगा और उनकी मंत्रालय में प्राधिकृत समिति द्वारा पात्रता मानदंड को पूरा करने तथा प्रस्तुत अपेक्षित दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पात्रता मानदंड पूरा करने वाली एजेंसियां तथा जिन्होंने अपने तकनीकी प्रस्ताव में सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, की एक सूची बनाई जाएगी।

12.7 चयनित एजेंसियों की वित्तीय बोलियों (तकनीकी रूप से सक्षम पाई गई एजेंसियां) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख / समय को एजेंसियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। वित्तीय मूल्यांकन टंकण, प्रूफरीडिंग, संवीक्षा सहित अनुवाद किए गए प्रति शब्द की कुल लागत के लिए प्रस्तावित न्यूनतम दर पर आधारित होगा। वित्तीय बोलियां खोलते समय, प्रत्येक एजेंसी / प्रत्येक बोलीदाता द्वारा प्रति शब्द उद्धृत दरों को मौके पर ही सभी को मौखिक रूप से सूचित किया जाएगा।

12.8 तकनीकी प्रस्तावों के खोले जाने से लेकर संविदा दिए जाने वाले समय तक के दौरान, यदि कोई एजेंसी अपने प्रस्ताव से संबंधित किसी मामले पर मंत्रालय से बात करना चाहती है तो वह ऐसा **<u>केवल</u>** लिखित में या ई-मेल के जरिए ही कर सकती है। किसी एजेंसी द्वारा प्रस्ताव के मूल्यांकन या संविदा प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने का कोई प्रयास करने पर एजेंसी के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा।

12.9 अनुवाद की दर एल-1 आधार पर नियत की जाएगी। केवल उन्हीं उपर्युक्त एजेंसियों, जो इस दर पर अनुवाद कार्य करने के लिए अपनी सहमति देंगी, को पैनलबद्ध किया जाएगा। **<u>यह दर दो वर्ष की संपूर्ण संविदा अवधि तक नियत रहेगी।</u>** पैनल दो वर्ष के लिए होगा जिसे एजेंसी/फर्म के निष्पादन के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

12.10 एल1 दर समान होने पर उपर्युक्त से अधिक अनुभव रखने वाली एजेंसियां, जिन्होंने सरकारी विभागों के लिए कार्य किया है, किन्हीं पुस्तकों/दस्तावेजों आदि का अनुवाद किया है तथा कोई विशेष मान्यता/आईएसओ प्रमाणपत्र आदि प्राप्त किए हों, को वरीयता दी जाएगी।

12.11 मंत्रालय को बिना कोई कारण बताए निविदा को समाप्त करने, अनुवाद कार्य को आंशिक रूप से बांटने और अपने विवेक पर इसे किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का अधिकार होगा।

12.12 निविदा इसके खोले जाने की तारीख से 45 दिनों के लिए वैध रहेगी।

13. अन्य महत्वपूर्ण सूचना

13.1 चयनित एजेंसी अनुवाद के संबंध में किसी विसंगति के लिए जिम्मेदार होगी।

13.2 निविदा की वैधता अवधि प्रस्तावों की अंतिम तारीख से 45 दिन होगी।

13.3 प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली एजेंसियों को बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तारीख के समाप्त होने के बाद उसे बदलने या आशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.4 मंत्रालय को अनैतिक पद्धति का सहारा लेने वाली एजेंसियां या जिन पर सरकारी जांच एजेंसियों/सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा अन्वेषण / जांच कार्यवाहियां प्रारंभ की गई हैं, की बोलियों को स्वीकार न करने का अधिकार होगा।

14. **दंड शर्त:** निविदा से नाम वापस लेने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ईएमडी को पूर्णतया या आंशिक रूप से जब्त कर लिया जाएगा।

14.1 कार्य को बिलंब से / असमय प्रस्तुत करने के मामले में प्रति दिन संविदा मूल्य के 0.5% का विलंब शुल्क, जो संविदा मूल्य का न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा, को एजेंसी से हर्जाने के रूप में वसूला जाएगा।

14.2 संविदा जारी करने के बाद, एजेंसी द्वारा कम निष्पादन करने पर निष्पादन गांरटी को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा, एजेंसी को काली सूची में डालने सहित अन्य कार्रवाई, जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपयुक्त समझी जाएगी, की जाएगी।

15. **समाप्ति:** मंत्रालय निम्नलिखित कोई स्थिति होने के मामले में संविदा रद्द कर सकता है:

क. यदि एजेंसी दिवालिया हो जाती है या अनिवार्य रूप से परिसमाप्त हो जाती है।

ख. मंत्रालय के निर्णय में यदि एजेंसी ने इस संविदा हेतु प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादन में भ्रष्ट या कपटपूर्ण पद्धति अपनाई हो।

ग. यदि कोई एजेंसी मंत्रालय को कोई झूठा विवरण दे जिसका मंत्रालय के अधिकार, बाध्यताओं और हितों पर वास्तविक रूप से प्रभाव पड़े।

घ. यदि एजेंसी अपना हित साधने के लिए ऐसा करे या इसकी जानकारी मंत्रालय को तत्काल देने में असफल रहे।

ड. यदि एजेंसी इस संविदा के अंतर्गत गुणवत्ता सेवाएं उपलब्ध कराने में असफल रहे। इसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर मंत्रालय एजेंसी की संविदा समाप्त करने से पहले उसे लिखित में नोटिस देगा।

*****

अनुलग्नक-।।

तकनीकी बोली

1.	**एजेंसी / फर्म का नाम**	:	
2.	**पूरा पता:**	:	
	दूरभाष सं.	:	
	फैक्स सं.	:	
	ई-मेल पता	:	
3.	**केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / संगठनों में किए गए कार्य का सबूत (प्रमाण-पत्र, टीडीएस कटौती प्रमाण-पत्र, कार्य पूर्णत: प्रमाण-पत्र) संलग्न करें।**	:	
4.	**(i) पैन नं.** **(ii) टिन/टैन नं.** **(iii) जीएसटीआईएन नं.** (कृपया इनकी प्रति संलग्न करें)	: :	
5.	**क्या निविदा की निबंधन एवं शर्तों को पढ़ने और समझने की पुष्टि के रूप में निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए है और उन्हें निविदा के साथ संलग्न किया गया है।**	:	हां / नहीं

घोषणा:

मैं / हम यह वचन देते हैं कि ऊपर दी गई सूचना / दस्तावेज हमारी उत्कृष्ट जानकारी के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और यह कि मुझे / हमें एजेंसी / फर्म को किसी सरकारी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है / प्रतिबंधित नहीं किया गया है। हम समझते हैं कि यदि कोई सूचना धोखाधड़ी से दी गई या छिपाई गई पाई जाती है तो निविदा रद्द कर दी जाएगी। हमने निविदा आमंत्रण में कार्य-क्षेत्र और अन्य आवश्यकताओं को भली-भांति समझ लिया है।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

खंड 2: तकनीकी प्रस्ताव

I. तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुति-पत्र

[दिनांक............................]

प्रेषक:

[फर्म का नाम]

____

____

____

सेवा में:

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
कमरा नं. 754, 'ए' विंग,
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110011

विषय: हिंदी से अंग्रेजी और विलोमत: अनुवाद कार्य करने का अनुरोध

महोदय / महोदया,

हम, अधोहस्ताक्षरी, आपके दिनांक [............................] के निविदा दस्तावेज सं................................ के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित अनुवाद कार्य (हिंदी से अंग्रेजी और विलोमत:) करने का प्रस्ताव करते हैं। हम इसके लिए एतद्द्वारा अपना तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

हमें इस बात की जानकारी है कि आप प्राप्त होने वाले किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

आपका,

हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम:...

फर्म का नाम:...

पता:..

दूरभाष:...................................

मोबाइल:..................................

अनुलग्नक-III

वित्तीय बोली

एजेंसी / फर्म का नाम:

पता :

संपर्क दूरभाष नं. :

कार्य का नाम		दर (रुपए में)
(1)	अंग्रेजी और विपरीत क्रम में अनुवाद प्रभार (प्रति शब्द), जिसमें टंकण, संवीक्षा, प्रूफ रीडिंग शामिल है *(सभी कर सहित)* ।	रु.__________ (आंकड़ों में)____________________(शब्दों में)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर...

एजेंसी/फर्म के अधिकारी का नाम...

दिनांक:

स्थान:

एजेंसी/फर्म की सील.....................................

<u>अनुलग्नक-IV</u>

<u>सहमति-पत्र</u>

(वित्तीय बोली के खुलने के बाद प्रस्तुत किया जाए)

[स्थान, दिनांक]

प्रेषक:
[फर्म का नाम]

____
____
____

सेवा में:

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
कमरा नं.754, 'ए' विंग,
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110011

विषय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुवाद कार्य के लिए एल 1 (न्यूनतम निविदा) दर पर कार्य करने की सहमति की संदर्भ में

महोदय / महोदया,

हम, अधोहस्ताक्षरी, आपके दिनांक [.............................] के निविदा दस्तावेज सं................................ के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित अनुवाद कार्य (हिंदी से अंग्रेजी और विलोमत:) करने का प्रस्ताव करते हैं। हम इसके लिए एतद्द्वारा अपना तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

हमें इस बात की जानकारी है कि आप, प्राप्त होने वाले किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

आपका,

हस्ताक्षर:...
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम:...
फर्म का नाम:..
पता..
दूरभाष /मोबाइल...